

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैद्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

75 / 1ए, नारायणपुर हाउस, षिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर

अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय

(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619668 ईमेल:तचअपरंल0515 / हउंपसणबवउ

संरक्षक

नन्दकिशोर विजय

(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता

(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

महासचिव

शिवकुमार विजयवर्गीय

(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास, जयपुर

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र

फोटो

आदरणीय अध्यक्ष / मंत्री महोदय

मैं निम्नांकित विवरण के साथ छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित कर रहा / रही हूँ।

1-छात्र / छात्रा का नाम _____

2-पिता का नाम _____

3-पूरा पता फोन नं० _____

फोन नं०(मोबाईल)-----

4-पिता न होने की स्थिति में संरक्षक का नाम _____

5-अध्ययन कक्षा-----स्कूल / कालेज-----

6-छात्र के पिता / संरक्षक की मासिक आय _____

(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7-परिवार के वयस्क अगर कार्य कर रहे हो तो उनका विवरण-

क्र०सं०	नाम	संबंध	वार्षिक आय

8-परिवार के पढने वाले अन्य छात्र / छात्राये-

क्र०सं०	नाम	संबंध	कक्षा	स्कूल / कालेज

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैद्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

75/1ए, नारायणपुर हाउस, षिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर

अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय

(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619668 ईमेल:तचअपरंल0515/हउंपसणबवउ

संरक्षक

नन्दकिशोर विजय

(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता

(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

महासचिव

षिवकुमार विजयवर्गीय

(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

9-छात्र/छात्रा ने गत वर्ष किस

स्कूल से अध्ययन किया था -

10-गत परीक्षा का परिणाम

(परीक्षा परिणाम की अंक तालिका संलग्न करना आवश्यक है)

11-क्या न्यास से गतसत्र में छात्रवृत्ति

मिली यदि हाँ तो कितनी

12-न्यास के अतिरिक्त अन्यत्र से भी क्या कोई

सहायता मिल रही है। यदि हाँ तो कितनी

और कहां से

13-मेरे द्वारा नियम व शर्तें पूर्णरूप से पढकर समझ ली है तथा मैं इनकी पालना हेतु सहमत हूँ।

कृपया स्वीकृति देकर अनुग्रहित कीजिये।

दिनांक

प्रार्थी,

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

नाम-----

प्रतिज्ञा पत्र

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वावलम्बी बनने पर न्यास से प्राप्त छात्रवृत्ति को अन्य छात्र/छात्राओं के लाभार्थ, शीघ्र से शीघ्र वापस लौटा देंगे।

हस्ताक्षर

1-छात्र/छात्रा

2-पिता/संरक्षक

दिनांक

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

75/1ए, नारायणपुर हाउस, षिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर

अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय
(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619668 ईमेल:तचअपरंल0515/हउंपसणबवउ

संरक्षक

नन्दकिशोर विजय
(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता
(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

महासचिव

षिवकुमार विजयवर्गीय
(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

क्रमांक

दिनांक

प्रादेशिक/स्थानीय संगठन द्वारा अभिशंसा

मैं -----पद-----प्रादेशिक/स्थानीय संगठन-----

-----तहसील-----जिला-----राज्य-----

प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे स्वज्ञान से सत्य है, तथा छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति का/की अधिकारी है। प्रार्थी के स्वावलम्बी होते ही न्यास से प्राप्त आर्थिक सहयोग न्यास को वापस कराने का प्रयत्न करूँगा।

हस्ताक्षर

पद-----

दिनांक

पता-----

दूरभाष नं० (मोबाईल)-----

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर द्वारा अभिशंसा

मैंने -----पद-----, उपरोक्त आवेदन पत्र का निरीक्षण कर लिया है।
छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति पाने का अधिकारी है/नहीं है

हस्ताक्षर

क्रमांक

दिनांक

न्यास का निर्णय

-----छात्र/छात्रा को सत्र-----के लिये----- रूपये की छात्रवृत्ति
स्वीकार/अस्वीकार की जाती है।

दिनांक

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

स्थाई सदस्य(नाम सहित)

स्थाई सदस्य(नाम सहित)

श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास, जयपुर

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

75/1ए, नारायणपुर हाउस, षिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर

अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय

(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619668 ईमेल:तचअपरंल0515/हउंपसणबवउ

संरक्षक

नन्दकिशोर विजय

(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता

(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

महासचिव

षिवकुमार विजयवर्गीय

(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

कार्यालय आदेश

न्यास के निर्णय के अनुसार श्रीमती _____ को दिनांक _____ से प्रतिमाह राशि _____ अक्षरे _____ दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति चैक द्वारा दी जाती है।

अध्यक्ष

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

नोट:-

1-इस आवेदन पत्र को दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। इसे प्रमाणित करने का अधिकार-

क- राजसेवक परिषद कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, सदस्य

ख- इस न्यास के सभी सदस्य

ग- विभिन्न स्थानीय संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री

घ- प्रादेशिक संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री।

2-यह सहायता अध्ययन कालावधि तक दी जावेगी।

3-सहायता प्राप्त आवेदक के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जाँच पश्चात अगर शिकायत सही पाई जाती है तो आवेदक की सहायता निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति की पास सुरक्षित होगा।

4-आवेदन पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र (पिता/संरक्षक का) एवं वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र

5-सहायता राशि का भुगतान जरिये अकाउन्ट पेई चैक द्वारा ही किया जावेगा।

6- प्रार्थी के स्वावलम्बी होते ही न्यास से प्राप्त आर्थिक सहयोग न्यास को वापस की जावेगी।